न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 51/2021 बउनवानी गजेन्द्रं सिंह फौजदार बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपु
पुत्र श्री रामसिंह जाट, निवासी सैनिक नगर कॉलेज रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/134

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2(98)सूकाअ/2021/874 दिनांक 13.5.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. श्री नरेन्द्र कुमार मीना उपजिला कलेक्टर वजीरपुर अक्सर बिना अवकाश स्वीकृत कराये शुक्रवार को सुबह या सांय को जयपुर अपने घर जाते है एवं सोमवार को न आकर मंगलवार को दोपहर तक आते है एवं सोमवार को उपस्थिति रजिस्टर में हाजरी करते है जबकि राजस्व प्रकरणों की आर्डर शीट में सोमवार को उनके अवकाश पर अर्थात मुख्यालय से बाहर दर्शा कर रीडर द्वारा तारीख पेशी दी जाती है। ऐसी तारीख पेशियो का विवरण चाहिए। जिसमे हाजरी रजिस्टर में हाजरी कर रखी है किन्तु पत्रावलियों मे रीडर द्वारा अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर होना अंकित किया है उनका दिनांक टाईम तथा आर्डर शीट पर हर तारीख पेशी की पत्रावलियों की आर्डर शीट की प्रमाणित प्रति मुताबिक पेशी रजिस्टर माह सितम्बर, 2020 से अप्रेल,2021 तक के उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना का अधिकार/2021/975 दिनांक 20.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि पीठासीन अधिकारी मुख्यालय पर निवास करते है तथा उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति हेतु 2/–रू प्रति पेज के हिसाब से शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 20.7.2021 को लिखा जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.4.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अगवत करवाने एवं उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति हेतु शुल्क जमा करवाने बाबत जरिये पत्रांक 975 दिनांक 20.7.2021 से लिखा गया है जो अधिनियम की तय समय सीमा 30दिवस के स्थान पर लगभग 75 दिवस के उपरान्त लिखा गया है जिसमे यह भी अंकित नही किया कि उक्त सूचना के लिए अपीलान्ट को कितनी शुल्क राशि जमा करवायी जानी है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी ,सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति गम्भीर नही है। जो उक्त अधिनियम एवं राजकार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया [illegible] कि अपीलान्ट को उपस्थिति पंजिका की प्रमाणित प्रति 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध [illegible]वायी [illegible]वे एवं भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की [illegible] सीमा मे प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट [illegible]स्तारण किया जाता है। [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखि[illegible] अभिलेख की जावे। आ[illegible] न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:08 IST
Reason: SelfAttested